वित्त निर्देश 38/2011

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 277/सी-1000443/वित्त/नियम/चार रायपुर, दिनांक 30 अगस्त, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषय:-न्यायिक सेवा के अधिकारियों की यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्तों की दरों की पुनरीक्षण ।

संदर्भ:-वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 45/सी-18029/वित्त/नियम/चार, दिनांक 01.03. 2010 ।

संदर्भित ज्ञापन द्वारा छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 4 के अनुसार छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के वेतन संरचना में यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता की संगणना के प्रयोजनार्थ शासकीय सेवकों का श्रेणीकरण एवं यात्रा भत्ता की दरें निर्धारित की गयी है। निम्न एवं उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों के वेतनमान पुनरीक्षण हेतु गठित पद्मनाभन समिति की अनुशंसानुसार छत्तीसगढ़ निम्नतर एवं उच्चतर न्यायिक सेवा (वेतन पुनरीक्षण नियम 2010) लागू किया गया है । जिसके अंतर्गत इन सेवाओं के अधिकारियों के लिए मास्टर पे स्केल 27700-770-33090-920-40450-1080-49090-1230-58930-1380-67210 -1540-76450 स्वीकृत किया गया है ।

2/ राज्य शासन द्वारा न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 4 के अनुसार यात्रा भत्ता अर्थात् दैनिक भत्ते की संगणना के प्रयोजनार्थ श्रेणीकरण हेतु निम्नानुसार वेतन निर्धारित किया जाता है-

श्रेणी ए- 57700 या इससे अधिक मूल वेतन प्राप्त करने वाले न्यायिक अधिकारी ।

श्रेणी बी- 39530 या इससे अधिक किन्तु 57700 से कम मूल वेतन प्राप्त करने वाले न्यायिक अधिकारी ।

श्रेणी सी- 27700 या इससे अधिक किन्तु किन्तु 39530 से कम मूल वेतन प्राप्त करने वाले न्यायिक अधिकारी ।

3/ न्यायिक सेवा के अधिकारियों हेतु हवाई यात्रा की पात्रता निम्नानुसार होगी-

1. 70290-1540-76450 वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले जिला न्यायाधीश (सुपर वेतनमान) देश के अंदर एक्सीक्यूटिव क्लास से यात्रा के पात्र होंगे ।

2. 43690-1080-49090-1230-56470 या इससे अधिक वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले न्यायिक अधिकारी देश के अंदर एकोनॉमी क्लास में यात्रा के पात्र होंगे ।

3. 33090-920-40450-1080-45850 या इससे अधिक वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले न्यायिक अधिकारी केवल दिल्ली यात्रा हेतु एकोनॉमी क्लास में यात्रा के पात्र होंगे ।

4/ यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्तों की अन्य दरें संदर्भित ज्ञापन के अनुसार होगी ।

5/ ये दरें दिनांक 1 मार्च, 2011 या इसके पश्चात् की गयी यात्रा हेतु लागू होंगी।

(एस.के. चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 278/सी-1000443/वित्त/नियम/चार/11 रायपुर, दिनांक 30.08.2011

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग /मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7 महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

Ravindran

विशेष कर्त्तव्यथ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

NayakD:\Documents and Settings\RAJESH\My Documents\VitNerdesh\pdf_2011\Doc File\38.doc